बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/02–भू0अ0नि0(आरोप)जमुई–13/2023 2945 पटना, दिनांक:–25/06/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 411 दिनांक 23.06.2022 द्वारा श्री शमशेर बहादुर, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02392) के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया है कि श्री बहादुर को दिनांक 25.03.2021 को सिंहेश्वर मेला (मधेपुरा) में थाना प्रभारी द्वारा मद्य निषेद्य कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसके फलस्वरूप इन्हें शिविर कार्यालय से कार्यमुक्त करते हुए मुख्यालय में योगदान देने का निदेश दिया गया है। प्रेषित प्रतिवेदन के साथ आरोपित का आवेदन पत्र संलग्न कर भेजा गया है, जिसमें यह अंकित है कि इन्हें मद्य निषेद्य कानून के तहत गिरफ्तारी के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है, जिसके फलस्वरूप इनका योगदान स्वीकृत किया जाय। इस आलोक में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संविदा अवधि विस्तार के साथ–साथ योगदान स्वीकृति के बिन्दु पर मार्गदर्शन की मांग भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय स्तर से की गयी है।

उपरोक्त प्रतिवेदन एवं आरोपित से प्राप्त आवेदन के आलोक में इनसे भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के पत्रांक 1775 दिनांक 19.07.2022 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। स्पष्टीकरण में उनके द्वारा यह तथ्य अंकित किया गया है कि डॉक्टर द्वारा इनके मामले को संदिग्ध बताते हुए तथा वगैर मुकदमा का ट्रायल किये गिरफ्तारी के दूसरे दिन इन्हें जमानत दे दी गयी है। इनके द्वारा आगे यह भी अंकित किया गया है कि इन्हें मद्य निषेद्य कानून के तहत 2000/– रूपये जुर्माना करते हुए मुकदमे का निष्पादन कर दिया गया है।

आरोप से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया है। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आरोपित द्वारा उनपर लगाए गए आरोप को स्वीकार किया गया है एवं दण्ड स्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा 2000/– रूपये का दण्ड अधिरोपित किया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि आरोपित पर लगाए गए आरोप सत्य है।

बंदोबस्त पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आरोपित से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा संचिका में रक्षित अभिलेखों की विवेचना की गयी है। विवेचनोपरांत पाता हूँ कि आरोपित द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन किया गया तथा प्रावधानित नियम के तहत गिरफ्तार होकर जमानत पर बाहर आएँ है। बंदोबस्त पदाधिकारी के पत्रांक 411 दिनांक 23.06.2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि इनके विरूद्ध मुकदमा के ट्रायल के उपरांत दिनांक 27.05.2022 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आरोपित द्वारा सरकार द्वारा प्रतिबंधित शराब का सेवन सार्वजनिक रूप से किया गया है तथा जुर्माना देकर न्यायालय से बरी हुए हैं। इनके द्वारा नैतिक आचार संहिता का भी पालन नहीं किया गया है। चूंकि बिहार विशेष सर्वेक्षण का कार्य सार्वजनिक स्तर पर आमजनों के बीच किया जाना है, अतः ऐसे कर्मी का संविदा नियोजन बनाए रखने से अन्य कर्मियों पर भी इसका कुप्रभाव पड़ने की संभावना है। इस परिपेक्ष्य में इनका संविदा अवधि विस्तार किया जाना कतई उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त के आलोक में श्री शमशेर बहादूर, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02392) का संविदा अवधि विस्तार न करते हुए **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह) 25/4/23
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 02—भू0अ0नि0(आरोप)जमुई—13 / 2023...2945... पटना, दिनांक :—25/04/2023

प्रतिलिपि :— श्री शमशेर बहादूर, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02392), बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 02—भू0अ0नि0(आरोप)जमुई—13 / 2023...2945... पटना, दिनांक :—25/04/2023

प्रतिलिपि :— बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :— 03 / 02—भू0अ0नि0(आरोप)जमुई—13 / 2023...2945... पटना, दिनांक :—25/04/2023

प्रतिलिपि :— श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू—अभिलेख एवं परिमाप
24/4/23